दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 01 अक्टूबर, 2024

रि.या.(आप) 1929/2024 और आप.वि.आ. 18784/2024

थोकचोम श्यामजय सिंह और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री सिद्धार्थ बोरगोहेन, श्री आदित्य गिरि और श्री हेमन्त कालरा, अधिवक्तागण

बनाम

गृह सचिव एवं अन्य के माध्यम से भारत संघ ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमित तिवारी, कें.स.स्था.अधि. सह श्री वेदांश आनंद, जी.पी., सुश्री चेतन्य पुरी, श्री ए. तंवर, श्री राहुल भास्कर और श्री सौम्यदीप चक्रवर्ती, भारत संघ के अधिवक्तागण।
श्री राहुल त्यागी, वि.लो.अभि सह श्री संगीत सिबौ, श्री जतिन, श्री मैथ्यू एम. फिलिप, सुश्री प्रिया राय और श्री अभिषेक तोमर, अधिवक्तागण सह रा.अन्वे.अभि. के लिए मु.जां.अधि. उप.पु.अधी. नीरज मिश्रा।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

निर्णय

न्या. अनूप जयराम भंभानी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पठित अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 2/राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ('एनआईए') द्वारा 13.03.2024 को की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचीगण ने विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा जारी रिमांड आदेशों को भी अभिखंडित करने की मांग की है, जिसके तहत याचीगण को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है, और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां वे वर्तमान में बंद हैं।

2. इस याचिका पर नोटिस दिनांक 02.07.2024 के आदेश द्वारा जारी किया गया था; जिसके परिणामस्वरूप मुख्य प्रतिवादी पक्ष अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2/एनआईए ने दिनांक 11.08.2024 को अपना प्रति-शपथपत्र दायर किया है।

3. संक्षेप में, याचीगण को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे मणिपुर राज्य में जातीय अशांति का फायदा उठाने और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों के एक विदेशी नेतृत्व

द्वारा रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं। तदनुसार, याचीगण को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी/121-ए/122 के साथ पठित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 18/18-बी/39 के तहत पंजीकृत प्राथमिकी संख्या आरसी-23/2023/एनआईए/डीएलआई दिनांक 19.07.2023 के मामले में 13.03.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

4. एनआईए के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ('यूएनएलएफ') की स्वरचित सेना का प्रमुख है और याचीगण संख्या 2 और 3 उसके सहयोगी हैं, जिन पर यूएनएलएफ के लिए फंड जुटाने (जबरन वसूली करके) के साथ-साथ मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए कैडर की भर्ती करने और हथियार खरीदने में शामिल होने का आरोप है।

5. प्रति-शपथपत्र में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से, एनआईए ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान रिट याचिका धारणीय नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा उठाई गई चुनौती के आधार पहले से ही याचीगण द्वारा रि.या. (आप.) संख्या 975/2024 वाली एक पिछली रिट याचिका के माध्यम से उठाए जा चुके हैं; नोटिस जारी होने के बाद और इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा लंबी बहस सुनने के बाद इस रिट याचिका को बाद में दिनांक 16.04.2024 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया था।

6. तदनुसार एनआईए ने प्रस्तुत किया कि 'रचनात्मक पहले से ही तय बात' का सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होता है; तथा समान तथ्यों पर आधारित तथा समान वाद-हेतुक को उठाते हुए दूसरी रिट याचिका धारणीय नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि दूसरी रिट याचिका में कुछ अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, तो वे आधार प्रथम रिट याचिका की सुनवाई के समय याचीगण के पास उपलब्ध थे और उन्हें उसी समय उठाया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए उन आधारों को दूसरी रिट याचिका दायर करने के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

7. एनआईए द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के मद्देनजर, इस न्यायालय ने एनआईए की ओर से उपस्थित विद्वान वि.लो.अभि. श्री राहुल त्यागी और याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ बोरगोहेन को वर्तमान रिट याचिका की धारणीयता के मुद्दे पर विस्तार से सुना है।

8. सर्वप्रथम, याचीगण द्वारा दायर की गई रि.या. (आप) संख्या 975/2024 वाली पिछली रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को उद्धृत करना फायदेमंद होगा, जो इस प्रकार है:

> *"क) बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिससे याचीगण की गिरफ्तारी को अपास्त कर दिया जाए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) और संहिता में निहित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन (अस्पष्ट, उल्लंघन) है;*

ख) न्याय की प्राप्ति के लिए याचीगण के पक्ष में कोई अन्य आदेश/आदेश पारित करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित समझे।"

9. पिछली रिट याचिका पर नोटिस 22.03.2024 को जारी किया गया था, जिसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विस्तार से बहस हुई थी; लेकिन बाद में इसे दिनांक 16.04.2024 के आदेश के तहत वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया, जिसमें खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

*"1. कुछ तर्क-वितर्क के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **<u>सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।</u>***

*2. वर्तमान याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है और **<u>प्रार्थना के अनुसार छूट</u>** प्रदान की जाती है।"*

(जोर दिया गया)

10. वर्तमान रिट याचिका को प्रारंभिक आधार पर खारिज करने के लिए तर्क देते हुए कि यह रचनात्मक पूर्व-न्याय' द्वारा वर्जित है, एनआईए की ओर से उपस्थित विद्वान वि.लो.अभि. श्री त्यागी ने प्रस्तुत किया कि, खंडपीठ द्वारा दिनांक 16.04.2024 को दिए गए आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचीगण को इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नई रिट याचिका दायर करने के लिए कोई विशेष छूट नहीं मांगी गई थी या दी गई थी। विद्वान वि.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि 'पूर्व-न्याय' का सिद्धांत वर्तमान मामले की परिस्थितियों

में लागू नहीं होगा, क्योंकि पहली रिट याचिका का निर्णय गुणागुण के आधार पर नहीं किया गया था, तथापि, चूंकि याचीगण उसी वाद-हेतुक के संबंध में वही आधार उठाने की मांग कर रहे हैं जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष पिछली रिट याचिका में दलील दी गई थी, इसलिए वर्तमान रिट याचिका 'रचनात्मक पूर्व-न्याय' के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

11. विद्वान वि.लो.अभि. ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में, खंडपीठ द्वारा याचीगण को “सक्षम न्यायालय/फोरम” का रुख करने की जो छूट दी गई है, उसमें उसी उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर करने की छूट शामिल नहीं है।

12. श्री त्यागी ने तर्क दिया कि याचीगण को दी गई छूट "सक्षम न्यायालय/फोरम" से संपर्क करने की थी, जिसका अर्थ होगा दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय या फोरम, जो कानून के अनुसार अनुमेय हो। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि याचीगण का इरादा उसी उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर करने का था, तो ऐसी याचिका दायर करने की विशेष छूट पिछली रिट याचिका को वापस लेते समय खंडपीठ से ली जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया।

13. श्री त्यागी बताते हैं कि वास्तव में याचीगण के पास उपलब्ध उपाय या तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करना है; या अन्यथा अपने रिमांड आदेशों को

विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष चुनौती देना है, जैसा कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 ('एनआईए अधिनियम') के तहत उपलब्ध हो सकता है।

14. अपने तर्कों के समर्थन में, श्री त्यागी ने ***राम कुमार बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली*** में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जहां पूर्ण पीठ ने स्पष्ट किया है कि रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है, न कि किसी एकल या विशेष न्यायाधीश, या खंडपीठ, या उच्च न्यायालय की वृहत पीठ में। यह तर्क दिया जाता है कि कानूनी स्थिति यही है, इस तथ्य के बावजूद कि कार्य के वितरण के माध्यम से उच्च न्यायालय के पेटेंट पत्र या नियमों में कुछ मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा और अन्य की सुनवाई खंडपीठ या पूर्ण पीठ द्वारा करने का प्रावधान हो सकता है। अधिवक्ता ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने टिप्पणी है कि कार्य का ऐसा वितरण, हालांकि, अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय की एक आंतरिक व्यवस्था मात्र है; लेकिन जब रिट जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर एकल न्यायाधीश या खंडपीठ द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो वह निर्णय समग्र रूप से उच्च न्यायालय का निर्णय होता है।

15. इसलिए, विद्वान वि.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया है कि खंड पीठ के समक्ष रि.या. (आप.) संख्या 975/2024 वाली पिछली रिट याचिका को वापस लेने से याचीगण को उसी वाद-हेतुक को उठाते हुए एक और रिट याचिका के माध्यम से एकल पीठ का रुख करने का अधिकार नहीं होगा। विद्वान वि.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में याचीगण के कार्य न्यायपीठ आखेट (बेंच-हंटिंग) के समान है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

16. श्री त्यागी ने ***सरगुजा परिवहन सेवा बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण, म.प्र., ग्वालियर एवं अन्य,*** का भरोसा करते हुए कहा है कि उक्त अधिमत में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि याचिकाकर्ता ने नई रिट याचिका दायर करने के लिए विशिष्ट अनुमति लिए बिना रिट याचिका वापस ले ली है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध उपचार को त्याग दिया है।

17. दूसरी ओर, याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ बोरगोहेन ने प्रस्तुत किया कि खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान, यह पता चला था कि याचीगण 'लापता' नहीं थे, बल्कि वे एनआईए की हिरासत में थे क्योंकि उन्हें 13.03.2024 को गिरफ्तार किया गया था, और बाद में विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा 14.03.2024 को दिए गए

आदेश के तहत उन्हें एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया था; और इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग करने वाला अभिवाक धारणीय नहीं था।

18. याचीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तदनुसार, खंडपीठ के समक्ष कुछ प्रस्तुतियाँ देने के बाद, याचीगण ने "सक्षम न्यायालय/फोरम" के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी; और इन्हीं परिस्थितियों में पिछली रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था; और खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से याचीगण को "प्रार्थना के अनुसार छूट", अर्थात्, "सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष समान मुद्दों को उठाने करने की छूट" प्रदान की।

19. श्री बोरगोहेन ने प्रस्तुत किया कि पिछली रिट याचिका भी याचीगण की गिरफ्तारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई थी, साथ ही ***डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन न करने और ***संदीप कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य*** के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भी याचिका दायर की गई थी।

20. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह किसी का मामला नहीं है कि खंडपीठ ने उसके समक्ष उठाई गई चुनौती पर गुणागुण के आधार पर फैसला सुनाया है; और इसलिए, पूर्व-न्याय या रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पिछली रिट याचिका उस समय दायर की गई थी जब याचीगण को उनकी हिरासत के आधार के बारे में पता नहीं था और एक बार जब उन्हें आधार पता चला, तो उन्होंने "सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने" की स्पष्ट छूट के साथ पिछली रिट याचिका वापस ले ली, और इसी कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

21. श्री बोरगोहेन ने प्रस्तुत किया है कि याचीगण को "सक्षम न्यायालय/फोरम" के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट देते समय खंडपीठ द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर एनआईए द्वारा की जा रही व्याख्या बेहद संकीर्ण और गलत है; और वर्तमान रिट याचिका तदनुसार इस न्यायालय के समक्ष धारणीय है।

22. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि एकल पीठ के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर करना खंडपीठ द्वारा दिनांक 16.04.2024 के आदेश में प्रयुक्त शब्द “सक्षम न्यायालय/फोरम” के अंतर्गत क्यों नहीं आनी चाहिए, विशेषकर तब जब याचीगण के पास कोई अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि

एनआईए अधिनियम की धारा 21(1) और 21(3) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि उन प्रावधानों के तहत उपलब्ध अपीलीय उपाय "अंतर्वर्ती आदेश" के खिलाफ उपलब्ध नहीं है; और रिमांड देने के आदेश, जैसे कि वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दिए गए आदेश, अंतर्वर्ती आदेश हैं।

23. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि उनके पास कोई अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं है, इसलिए यदि याचीगण रिमांड आदेशों को चुनौती देना चाहते हैं तो उनके पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का ही विकल्प बचता है। यह भी बताया गया है कि एनआईए अधिनियम की धारा 6(9) और धारा 2(1)(सी) के संयुक्त अध्ययन से यह देखा गया है कि एनआईए अधिनियम के तहत उठने वाले मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाला एकमात्र उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय है, क्योंकि एनआईए अधिनियम की धारा 6(9) के तहत विशेष न्यायालय एनआईए अधिनियम की धारा 2(1)(सी) के अनुसार इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है; और इसलिए याचीगण किसी अन्य उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते।

24. यह तर्क दिया गया है कि इन परिस्थितियों में, याचीगण के पास कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिए गए उपाय से वंचित नहीं किया जा सकता।

25. *सरगुजा परिवहन सेवा* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर एनआईए द्वारा रखे गए भरोसे को संबोधित करते हुए, श्री बोरगोहेन ने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय उस स्थिति को संबोधित करता है जहां याचीगण ने नई याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति लिए बिना ही पिछली रिट याचिका वापस ले ली थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह उन परिस्थितियों में था, कि उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सीपीसी') के आदेश XXIII नियम 1(3) के सिद्धांतों पर फैसला सुनाया था कि जहां कोई पक्षकार वाद नए सिरे से दायर करने की अनुमति के बिना किसी वाद को छोड़ देता है या वाद को वापस ले लेता है, ऐसे पक्षकार को उसी विषय-वस्तु के संबंध में, या उसी दावे या दावे के हिस्से के संबंध में एक नया वाद शुरू करने से रोक दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सरगुजा परिवहन सेवा में उच्चतम न्यायालय ने आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी में अंतर्निहित सिद्धांत को न्याय प्रशासन के हित में रिट याचिकाओं को वापस लेने के मामलों में लागू किया है, न कि पूर्व-न्याय के आधार पर, बल्कि सार्वजनिक नीति के आधार पर, ताकि किसी मुकदमेबाज को न्यायपीठ आखेट (बेंच-हंटिंग) में लिप्त होने से निरुत्साहित किया जा सके।

26. श्री बोरगोहेन का तर्क है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस सिद्धांत के दायरे से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत छूट के संबंध में दायर

एक रिट याचिका को बाहर रखा है, जिसमें कोई पक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट याचिका जारी करने की प्रार्थना करता है या संविधान के तहत गारंटीकृत कुछ अन्य मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करता है, जिस प्रश्न को उक्त निर्णय में अनिर्णीत छोड़ दिया गया था।

27. इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष निश्चित रूप से धारणीय है।

28. पक्षकारगण द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, निम्नलिखित निष्कर्ष सुरक्षित रूप से उद्धृत किए जा सकते हैं:

28.1 वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचीगण ने अपनी व्यक्तिगत छूट से संबंधित गंभीर परिणामों वाले मामलों को उठाया है, क्योंकि वे 13.03.2024 को एनआईए के द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना चाहते हैं। याचीगण का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचीगण ने विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनआईए), पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली द्वारा जारी रिमांड आदेशों को चुनौती देने की मांग की है, जिसमें उन्हें एनआईए की हिरासत में रखने और बाद में न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है, यह तर्क देते हुए कि गिरफ्तारी और रिमांड विधि में गैर-मौजूद है, अन्य बातों

के साथ-साथ पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य5 और प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)6 में दिए गए आदेश का उल्लंघन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि गिरफ्तारी के समय याचीगण को "गिरफ्तारी के आधार" के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए था।

28.2 हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचीगण ने रि.या. (आप.) संख्या 975/2024 वाली एक पिछली रिट याचिका दायर की थी, लेकिन यह भी विवादित नहीं है कि पिछली रिट याचिका खंडपीठ के समक्ष वापस ले ली गई थी, और खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट आदेश पारित किया गया था, जिसे दोहराया जाना आवश्यक है:

> *"1. कुछ तर्क-वितर्क के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने* ***<u>सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।</u>***
>
> *2. वर्तमान याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है* ***<u>और प्रार्थना के अनुसार छूट प्रदान की जाती है।"</u>***

खंडपीठ के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि खंडपीठ के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ था; और खंडपीठ द्वारा मुद्दों के गुणागुण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

28.3 जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, रि.या. (आप) संख्या 975/2024 वाली पिछली रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं दर्शाती हैं कि याचीगण ने अपनी गिरफ्तारी को अपास्त करने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट मांगी थी।

28.4 एनआईए इस बात पर विवाद नहीं करती है कि पिछली रिट याचिका वापस लेने के समय, याचीगण ने विशेष रूप से "उन्हीं मुद्दों को फिर से उठाने" की छूट मांगी थी, लेकिन यह एनआईए का तर्क है कि उन्हीं मुद्दों को "सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष" उठाने की छूट मांगी गई थी, जिसमें उसी उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ शामिल नहीं होगी। इस तर्क के समर्थन में एनआईए ने राम कुमार (पूर्वोक्त) मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा जताया है। यद्यपि इस सैद्धांतिक प्रस्ताव पर कोई अनावश्यक आपत्ति नहीं की जा सकती कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश या पीठ अपने आप में उच्च न्यायालय नहीं है, तथा सभी न्यायाधीश या पीठ मिलकर उच्च न्यायालय बनते हैं, तथापि इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि विभिन्न न्यायाधीशों या पीठों को रोस्टरों का आबंटन एक निरर्थक कार्य है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 226, संवैधानिक न्यायालय को प्रदान की गई असाधारण

शक्तियों का संभवतः सबसे व्यापक दायरा है, और उस प्रावधान में शामिल शक्तियों का प्रयोग विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से संबंधित सिविल और आपराधिक मामलों के संबंध में, एकल या खंडपीठ में या पूर्ण पीठ में बैठे विभिन्न न्यायाधीशों या पीठों द्वारा किया जाता है। इसलिए यह तर्क नहीं बनता कि दिनांक 16.04.2024 के आदेश में उल्लिखित शब्द "सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष" किसी भी कल्पनीय कारण से *भिन्न विषय-वस्तु आवंटन* से निपटने वाली पीठ को बाहर क्यों रखेंगे, भले ही अलग-अलग पीठ संविधान के समान अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करती हो। चूंकि संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिनका प्रयोग अलग-अलग विषय-वस्तु आवंटन करने वाली विभिन्न पीठों द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रासंगिक यह है कि जिस पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई है, वह उस विषय-वस्तु से निपटने में सक्षम होनी चाहिए।

28.5 अनावश्यक शब्दजाल से परे, यह स्पष्ट है कि याचीगण ने खंडपीठ के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, चूंकि उस समय उन्हें अपनी हिरासत के आधार के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वे यह राहत मांग रहे थे कि

उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। हालांकि इसके बाद, याचीगण ने खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली, जिसके तहत उन्होंने *"सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष समान मुद्दों को उठाने के लिए"* विशिष्ट छूट की मांग की थी और उन्हें अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाना न तो आवश्यक है और न ही उचित है कि खंडपीठ के समक्ष क्या हुआ, क्योंकि पुनरावृत्ति के जोखिम के बावजूद खंडपीठ ने याचीगण को सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट प्रदान की है।

28.6 एनआईए अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से यह देखा गया है कि चूंकि विशेष न्यायालय, जिसके समक्ष एनआईए द्वारा याचीगण को प्रस्तुत किया गया था, दिल्ली में है, इसलिए एनआईए अधिनियम की धारा 2(1)(सी) के आधार पर, याचीगण की गिरफ्तारी से संबंधित मामलों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। इसके अलावा, एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत उपाय भी याचीगण के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि धारा 21 के तहत अंतर्वर्ती आदेशों से कोई अपील उपलब्ध नहीं है, और रिमांड की अनुमति देने वाला आदेश

एक अंतर्वर्ती आदेश है। विद्वान वि.लो.अभि. ने वास्तव में इस स्थिति पर कोई विरोध नहीं किया है।

28.7 यह भी उल्लेखनीय है कि खंडपीठ के समक्ष की गई प्रार्थनाओं में याचीगण ने केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण अभिवाक के संदर्भ में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी; जबकि वर्तमान याचिका के माध्यम से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के हाल के उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर अपनी रिमांड को भी चुनौती दी है, जो चुनौती खंडपीठ के समक्ष नहीं थी।

28.8 यदि किसी व्यक्ति की छूट के अधिकार को कानून द्वारा दी गई प्राथमिकता के बारे में कोई संदेह है, तो यह इंगित करना पर्याप्त है कि *सरगुजा परिवहन सेवा* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसे दोनों पक्षों द्वारा समान उत्साह के साथ उद्धृत किया गया है, स्पष्ट रूप से एक अपवाद बनाता है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत छूट से संबंधित मामले कार्यवाही की 'वापसी' और 'पुनः दाखिल' के शब्दार्थ के दायरे से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में इसे स्पष्ट कर दिया है, जो इस प्रकार है:

> *"... ... जबकि एक नई रिट याचिका दायर करने की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को वापस लेने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वाद*

या याचिका जैसे अन्य उपायों पर रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि इस तरह की वापसी रिस जूडीकेटा के बराबर नहीं होती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में भरोसा किए गए वाद-हेतुक के संबंध में त्याग दिया गया माना जाना चाहिए ***<u>जब वह बिना अनुमति के इसे वापस लेता है।</u>*** *वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि उसी विषय-वस्तु के संबंध में उसके समक्ष नई रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है,* ***<u>क्योंकि नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना ही पिछली रिट याचिका वापस ले ली गई थी।</u>*** *तथापि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस आदेश में हमने जो कुछ भी कहा है,* ***<u>उसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत छूट से संबंधित रिट याचिका पर लागू नहीं माना जा सकता है,</u>*** *जिसमें याचिकाकर्ता बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना करता है या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करता है,* ***<u>क्योंकि ऐसा मामला पूरी तरह से अलग श्रेणी में आता है।</u>*** *हालाँकि, हम इस प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ते हैं।"*

(जोर दिया गया)

28.9 बाकी सब बातों को छोड़कर, इस न्यायालय का यह विचार है कि व्यक्तिगत छूट के प्रश्नों से संबंधित मामलों में, खंडपीठ द्वारा दिनांक 16.04.2024 को दिए गए आदेश के पांडित्यपूर्ण, अति-तकनीकी या प्रतिबंधात्मक निर्माण के आधार पर किसी दलील को खारिज करना कभी भी न्यायसंगत या उचित नहीं होगा, खासकर तब जब वह आदेश स्पष्ट रूप से याचीगण को सक्षम न्यायालय या फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की छूट प्रदान करता है।

29. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिका धारणीय है; तथा इस पर विचार किया जाना चाहिए।

30. एनआईए द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

31. अब मामले को गुणागुण के आधार पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

01 अक्टूबर, 2024
एके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*